<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 449 / 2025

श्री राधेश्याम सैनी पुत्र श्री गणपत सिंह सैनी, श्री पंचमुखी बालाजी के पास, मण्ड्रेला रोड, वार्ड नं0 55, झुंझुनूं (राज0), पिन कोड 333001 मो0न0 9785403276

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

<u>आदेश</u>

दिनांक 13.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 449 / 2025 पर दिनांक 27.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 4662—663 दिनांक 27.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1328—1330 दिनांक 29.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1305 दिनांक 08.10.2025 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना नही मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1328—1330 दिनांक 29.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1305 दिनांक 08.10.2025 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट है जो दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं